न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
01/2021	2021/00001	21.01.2021	24.02.2021

श्री मोहनलाल पुत्र श्री हुरजी मीणा उचित मूल्य दुकानदार सुजानपुरा (FPS Code 15212) ग्राम पंचायत मोटीखेड़ी तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– अपीलान्ट

–: बनाम :–

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़

: –रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1976 के तहत

उपस्थिति :–

1. श्री ईश्वरलाल गायरी अधिवक्ता
   पैरोकार सरकार (रसद)

–: आदेश :–

दिनांक :– 24.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक :– रसद/अभियोजन/2020/2943–49 दिनांक 28.12.2020 जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा मिथ्या एवं भाम्रक शिकायतकर्ता ग्रामवासी बिलड़ी श्रीमती मंगली पत्नि जोधा, श्री गोपाल पुत्र उंकारलाल, श्री अम्बालाल पुत्र गलजी एवं श्रीमती शान्तिबाई पत्नि श्री मोहनलाल द्वारा जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत शिकायत के आधार पर रसद विभाग के कार्मिकों द्वारा आनन फानन में अपीलार्थी द्वारा संचालित सुजानपुरा (FPS Code 15212) ग्राम पंचायत मोटीखेड़ी तहसील पीपलखुंट का दिनांक 27.08.2020 को जांच एवं मौका निरीक्षण करते हुए दुकान को बंद बताते हुए मिथ्या एवं भाम्रक शिकायतकर्ताओं के बयान लेखबद्ध करते हुए अपीलार्थी को निराधार राशन वितरण में अनियमिता का दोषी बताया जाकर तथा वक्त निरीक्षण 25.40.500 ग्राम गेहुँ भौतिक सतयापन में कम बताते हुए अपीलार्थी को जरिये आदेश क्रमांक :–रसद/अभियोजन/2020/2943–49 दिनांक 28.12.2020 को निलंबित कर दिया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध राजनैतिक दबाव एवं मिथ्या शिकायत आधार पर जरिये प्रकरण संख्या 342/2020 निर्णय दिनांक 28.12.2020 के अनुसार अपीलार्थी का प्राधिकारी पत्र मय धरोहर प्रतिभूति राशि जब्ती के साथ निरस्त कर दिया।

270

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा जारी विवादित आदेश दिनांक 28.12.2020 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर कि जाकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किये गए जिनकी बाद तामील रिपोर्ट अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद) प्रवर्तन अधिकारी श्री रामचन्द्र शेरावत रसद विभाग से निर्णित पत्रावली संख्या 342/2020 के साथ उपस्थित हुए।

प्रकरण में बहस अन्तिम उभय पक्ष सूनी गई दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता पूर्वक की गई कार्यवाही है प्रस्तुत शिकायत में वर्णित शिकायतकर्ताओं को समुचित वितरण किया जाता रहा है तथा रसद विभाग के जांचकर्ता अधिकारी द्वारा लिये गये बयानात भी शिकायतकर्ताओं के विपरित होकर अपीलार्थी के विरूद्ध द्वेषता पूर्वक की गई कार्यवाही अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं होकर राशन वितरण पंजीका संधारण तथा वितरण में अनियमितता का दोषी मानते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे तथा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

इसी प्रक्रम में दोराने बहस पैरोकार सरकार (रसद) द्वारा अपील में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि वक्त निरीक्षण दिनांक 27.08.2020 को प्रस्तुत शिकायत अनुसार उचित मूल्य की दुकान के भौतिक सत्यापन में 25.40.500 ग्राम गेहुँ भौतिक सतयापन में कम पाए गये तथा राशन वितरण में कई अनियमिताएं पाई है जिसके आधार पर शिकायतकर्ताओं की शिकायत प्रमाणित पाए जाने से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाना उचित रहा है।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं प्रकरण पर लागु प्रचलित विधियों का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 19.01.2021, निलंबन आदेश दिनांक 04.09.2020 एवं आदेश प्रकरण संख्या 342/2020 निर्णय दिनांक 28.12.2020 तथा प्रकरण में संलग्न शिकायत एवं मौका पर्चा कार्यवाही दिनांक 27.08.2020 का भी अध्ययन अवलोकन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में वर्णित कथन एवं पैरोकार सरकार रसद द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड निर्णित पत्रावली संख्या 342/2020 निर्णय दिनांक में संलग्न समस्त दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा किया गया कृत्य मानवीय भूल समान प्रतीत होता है तथा बक्त बहस पैरोकार सरकार द्वारा किये गए कथन की अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान संचालन का समग्र रिकार्ड अच्छा रहा है और अपीलार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत भी विचाराधीन नहीं रही है साथ ही उपलब्ध रिकार्ड अनुसार अपीलार्थी द्वारा संचालित उचित मुल्य दुकान FPS 15212 अन्तर्गत वक्त निरीक्षण कम पाई गई समस्त राशन सामग्री वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन में सही नहीं पाए जाने उपरान्त भी वक्त वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निर्धारित दुकानदार रंगलाल पुत्र बगदीराम माटामांईगा FPS 15213 सुहागपुरा लैम्पस को अन्तरण के दौरान समस्त राशन सामग्री पॉस मशीन में दर्ज रिकार्ड अनुसार अन्तरित किये जाने एवं वर्तमान कोविड परिस्थितियों में उपभोक्ताओं के समुचित वितरण एवं अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से नवीन चयन प्रक्रिया को अमल में लाया जाना संभव नहीं रहा है तथा अपीलार्थी द्वारा सरे इजलास उसके द्वारा बरती गई अनियमिताओं को स्वच्छ मन स्थिति से स्वीकार किये जाने से तथा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

शिकायतों के शिकायतकर्ताओं द्वारा दोहरे कथन किये जाने की स्थिति में अपीलार्थी की जब्त धरोहर प्रतिभूति राशि को राजसात रखा जाने के आंशिक दण्ड दिया जाकर अपीलार्थी को शिथिलन का पात्र मानते हुए अपीलार्थी को न्यायहित में एक अवसर रसद विभाग की अनुशंषा अनुसार प्रदान किया जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

अतः अपील अपीलार्थी न्यायहित में आंशिक स्वीकार कि जाकर जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 342/2020 में जारी आदेश दिनांक 04.09.2020 एवं 28.12.2020 को अपास्त करते हुए निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र (FPS 15212) नवीन प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त के साथ बहाल किया जावे तथा अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसे कृत्यों की पुनरावर्ती नहीं करें और करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा सरेइजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध कराया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner